



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220364
CG-DL-E-03072020-220364

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2020/आषाढ 12, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2020/ASADHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 429(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194क, 194ज, 194ट, 194ठखक, 194ड, 194ण, 197 क और 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम (4) में,-
(क) खंड (viii) में, "जिस पर कर की कटौती" शब्दों के पश्चात् " या न्यूनतम दर पर कटौती" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे ;
(ख) खंड (ix) के स्थान पर 1 जुलाई, 2020 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ix) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194इ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194इ के तीसरे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194इ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी;”;

(ग) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(x) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी।

(xi) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के अधीन कर की कटौती नहीं की गई थी।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 197क की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड के परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदत्त छूट को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी।”

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,

(I) प्ररूप 26 थ में—

(क) “[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194इ और नियम 31क देखिये]” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194इ, 194ण, 197क और नियम 31क देखिये]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;;

(ख) “उपाबंध” के स्थान पर निम्नलिखित “उपाबंध” रखा जाएगा, अर्थात् :--

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. 'क' लिखे, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे 'न्यूनतम कटौती की गई है' या 'कटौती नहीं की गई है'।
2. 'ख' लिखे, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न, धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. 'ग' लिखे, यदि कटौतीदार/पाने वाले द्वारा पै न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. 'घ' लिखे, यदि धारा 194क की उपधारा (5) अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
5. 'ङ' लिखे, यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
6. 'च' लिखे, यदि आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. 'न' लिखे, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार/पाने वाले का पै न आवश्यक है। [धारा 194ग(6)]
8. 'थ' लिखे, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. 'ड' लिखे, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. 'डू' लिखे, यदि या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*
11. 'ण' लिखे, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।
12. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192 क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94क
194ख	क्रासवर्ड पजल्स और लाटरियों से जीती हुई रकम	94ख
194खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	4खख
194ग	संविदाकार और उप-संविदाकार को संदाय	94ग
194घ	बीमा कमीशन	94घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	4घक
194ङ-ङ	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबंधित संदाय	4ङ-ङ
194च	म्युचअल फंडों या यूटीआई की यूनिटों के पुनःक्रय की बाबत संदाय	94च
194छ	लाटरी के टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार	94छ
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194-झ (क)	किराया	4-झक
194-झ (ख)	किराया	4-झख
194ञ (क)	तकनीकी सेवाओं के फीस (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं), चलचित्र फिल्मों के त्रिकय, वितरण या प्रदर्शन के लिए स्वामिस्व और कॉल सेंटर के लिए, दो प्रतिशत की दर पर	94ञ क
194ञ (ख)	वृत्तिक सेवाओं या स्वामिस्व के लिए फीस (10 प्रतिशत की दर पर)	94ञ-ख
194ट	यूनिटों के संबंध में आय	94ट
194ठक	कतिपय स्थावर सम्पत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	4ठक
194ठखक (क)	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से ब्याज के रूप में कतिपय आय	4खक1
194ठखक (ख)	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से लाभांश के रूप में कतिपय आय	4खक2
194ठख	विनिधान की यूनिटों के संबंध में आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास के विनिधान के संबंध में आय	ठखग
*194ड	कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ड

*194६ पहला परंतुक	नान-फाईलरर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	94६-च
#194-ण	ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय	94ण "

(II) प्ररूप 27थ में—

- (क) “[धारा 194ड, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और नियम 31क देखिये] कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर [धारा 194ड, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग, 194६, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क और नियम 31क देखिये] कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;”;
- (ख) “उपाबंध” के स्थान पर निम्नलिखित “उपाबंध” रखा जाएगा, अर्थात् :--

“उपाबंध: टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन
(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रं. सं. 4 पर सारणी के प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए प्रथक उपाबंध का प्रयोग करे)
तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त/जमा रकम और स्रोत पर काटे गये कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/ प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या
चालान जमा करने तारीख/अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
चालान क्रम संख्या/ प्ररूप 24छ डीडीओं क्रम संख्या
चालान के अनुसार रकम
ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 726 में कटौतीदारों के बीच आंबटनीय कुल कर
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों के बीच आंबटनीय कुल ब्याज

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. 'क' लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है"।
2. 'ख' लिखें, यदि ग्रासअप किया गया है।
3. 'घ' लिखें, यदि कटौतीदार द्वारा [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या] प्रस्तुत न करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. 'ण' लिखें, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कटौती नहीं की गई है।
5. 'ड' लिखें, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम कटौती की गई है।
6. 'ढ' लिखें, यदि या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती न्यूनतम दर पर कर की कटौती नहीं की गई है।
7. 'छ' लिखें, यदि धारा 197 की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं की गई है
8. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क
194ड	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोजनों को संदाय	94ड
194ठख	अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज से आय	4ठख
194ठखक(क)	कारबार न्यास की यूनियों से धारा 10(23चग)(क) में निर्दिष्ट आय	ठखक 1

194 ठखक (ख)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चग)(ख) में निर्दिष्ट आय	ठखक 2
194 ठखक (ग)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट आय	ठखक 3
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत् आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत् आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज से आय	4ठग
194ठघ	कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय	4 ठघ
*194ह	कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ह
*194ह पहला परंतुक	नान-फाईलरर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ह-च
195	अनिवासी को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत् आय	96क
196ख	आफशोर निधि की यूनिटों की बाबत् आय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बांड या शेयरों से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ

9. नियम37खग के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में, “स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध नहीं है” है उल्लिखित होना चाहिए।”

*धारा 194ह के संबंध में, परिवर्तन 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होंगे।

#धारा 194ण के संबंध में, परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 43/2020/फा. सं. 370142/11/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण- (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 421(अ), तारीख 30.06.2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 429(E).— In exercise of the powers conferred by sections 194A, 194J, 194K, 194LBA, 194N, 194-O, 197A and 200 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (16th Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule (4), --

(a) in clause (viii), after the words “not deducted”, the words “or deducted at lower rate” shall be inserted;

(b) for clause (ix) the following shall be substituted from the 1st day of July, 2020, namely:-

“(ix) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under second proviso to section 194N or in view of the exemption provided in third proviso to section 194N or in view of the notification issued under fourth proviso to section 194N”;

(c) after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely:--

“(x) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under sub-section (5) of section 194A.

(xi) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted under sub-section (2A) of section 194LBA.

(xii) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of clause (a) or clause (b) of sub-section (1D) of section 197A.

(xiii) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted in view of the exemption provided to persons referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November 2002 or Board Circular No. 18 of 2017 dated 29th May 2017.”

3. In the principal rules, in Appendix II,

(I) in form 26Q –

(a) for the brackets, words, figures and letters

“[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N and rule 31A]”

the following brackets, words, figures and letters

“[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 197A and rule 31A]” shall be substituted;

Verification

I,, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

.....

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date:

.....

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
3. Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee/payee.
4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular no. 3 of 2002 dated 28th June, 2002 or Board Circular no. 11 of 2002 dated 22nd November, 2002 or Board Circular no. 18 of 2017 dated 28th May, 2017.
6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
7. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory [section 194C (6)].
8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A (1F).
9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.*
10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.*
11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
12. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193
194	dividend	194
194A	Interest other than interest on securities	94A

194B	<i>Winnings from lotteries and crossword puzzles</i>	94B
194BB	<i>Winnings from horse race</i>	4BB
194C	<i>Payment of contractors and sub-contractors</i>	94C
194D	<i>Insurance Commission</i>	94D
194DA	<i>Payment in respect of life insurance policy</i>	4DA
194EE	<i>Payments in respect of deposits under National Savings Schemes</i>	4EE
194F	<i>Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs</i>	94F
194G	<i>Commission, prize etc., on sale of lottery tickets</i>	94G
194H	<i>Commission or Brokerage</i>	94H
194-I(a)	<i>Rent</i>	4-IA
194-I (b)	<i>Rent</i>	4-IB
194J(a)	<i>Fees for Technical Services(not being professional services), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call centre (@2%)</i>	94J-A
194J (b)	<i>Fee for professional service or royalty etc. (@10%)</i>	94J-B
194K	<i>Income in respects of units.</i>	94K
194LA	<i>Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property</i>	4LA
194LBA(a)	<i>Certain income in the form of interest from units of a business trust to a residential unit holder</i>	4BA1
194LBA(b)	<i>Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder</i>	4BA2
194LB	<i>Income in respect of units of investment fund</i>	LBB
194LBC	<i>Income in respect of investment in securitization trust</i>	LBC
194N	<i>Payment of certain amounts in cash</i>	94N
194N First proviso*	<i>Payment of certain amounts in cash to non-filers</i>	94N-F
#194-O	<i>Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant</i>	94O”

(II) in form 27Q --

(a) for the brackets, words, figures and letters

“[See sections 194E, 194LB, [194LBA, 194LBB, 194LBC], 194LC, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, and rule 31A]”

the brackets, words, figures and letters

“[See section 194E, 194LB, [194LBA, 194LBB, 194LBC], 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A and rule 31A]” shall be substituted;

(b) for the “Annexure” the following “Annexure” shall be substituted, namely:--

“[ANNEXURE: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS]

(Please use separate Annexure for each line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of Col. 726	
Total interest to be allocated among the deductees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer

TAN	
-----	--

Sl. No.	Deductee reference number provided by the deductor, if available	Deductee code (01-Company 02-Other than company)	[Permanent Account Number or Aadhaar Number] of the deductee [see note 9]	Name of the deductee	Section code (See Note 8)	Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso to section	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakhs but does not exceed Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (b) of first proviso to section	Amount paid or credited	Tax	Surcharge	Education Cess	Total tax deducted [722+ 723 + 724]	Total tax deposited
---------	--	--	---	----------------------	---------------------------	--	---	---	---	-------------------------	-----	-----------	----------------	-------------------------------------	---------------------

							194N)*	clause (ii) of first proviso to section 194N*	194N *						
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719]	[720]	[720A]	[720B]	[720C]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1															
2															
3															
Total															

Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non-deduction/ lower deduction/ grossing up/ Higher Deduction (See notes 1 to 3)	Number of the certificate issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction	Whether the rate of TDS is as per IT Act (a) DTAA (b)	Nature of Remittance	Unique Acknowledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available	Country to which remittance is made	Email ID of deductee	Contact number of deductee	Address of deductee in country of residence	Tax Identification Number/ Unique identification number of deductee
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	735	736	737	738
1											
2											
3											
Total											

Verification

I, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:

Date:

Signature of the person responsible for deducting tax at source

.....
Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write “A” if “lower deduction” or “no deduction” is on account of a certificate under section 197.
2. Write “C” if grossing up has been done.
3. Write “D” if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of [*Permanent Account Number or Aadhaar Number*] by the deductee.
4. Write “O” if no deduction is in view of sub-section (2A) of section 194LBA.
5. Write “M” if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.*
6. Write “N” if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under the fourth proviso to section 194N.*
7. Write “G” if no deduction is in view of clause (a) or clause (b) of sub-section (1D) of section 197A.
8. List of section codes is as under:

<i>Section</i>	<i>Nature of Payment</i>	<i>Section Code</i>
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E
194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA(a)	Income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust	LBA1
194LBA (b)	Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust	LBA2
194LBA(c)	Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust	LBA3
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC]
194LC	Income by way of interest from Indian company	4LC
194LD	<i>Income by way of interest on certain bonds and Government securities.</i>	4LD
194N	<i>Payment of certain amounts in cash</i>	94N

194N First Proviso*	Payment of certain amount in cash to non-filers.	94N-F
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore Fund	96B
196C	Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	96C
196D	Income of foreign institutional investors from securities	96D

9. In case of deductees covered under rule 37BC, *Permanent Account Number or Aadhaar Number* NOT AVAILABLE” should be mentioned.”

*in relation to section 194N, the changes shall come into effect from 1st July, 2020.

#in relation to section 194-O, the changes shall come into effect from 1st October, 2020.

[Notification No. 43/2020/F. No. 370142/11/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 423 (E), dated 30.06.2020.